

**न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश, अजा / अजजा (अत्याचार
निवारण) अधिनियम, पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर**


सूचना पत्र

जिला अभिभाषक सघ मण्डलेश्वर द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 11/2020 दिनांक 07.05.2020 कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अधिवक्तागण द्वारा वी सी के माध्यम से तथा न्यायालयों में उपस्थित होकर न्यायिक कार्य करने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण इस न्यायालय में विचाराधीन संलग्न सूची अनुसार आपराधिक एवं दिवानी प्रकरण जो अंतिम तर्क अभियुक्त कथन बचाव साक्ष्य आदेश एवं निर्णय की अवस्था के प्रकरण निम्नांकित सूची में दर्शायी गयी तिथियों पर सुनवाई में लिये जावेंगे ।

आपराधिक प्रकरण

| अ०क्र० | प्रकरण क्रमांक | पक्षकार का नाम | स्टेज | आगामी पेशी दिनांक | रिमांक |
|--------|------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | वि सत्र प्र 06/2019 | शासन वि राम | अंतिम तर्क | 16.07.2020 | उभयपक्ष अनुपस्थित |
| 2 | वि सत्र प्र 89/2017 | शासन वि पिन्दू | अभियुक्त परीक्षण हेतु | 16.07.2020 | उभयपक्ष अनुपस्थित |

तकनुसार समस्त अभिभाषकाण एवं पक्षकाराण सूचित हो।


(साधना माडेबरी) 31/7/2020
विशेष न्यायाधीश,

अजा / अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम
1989, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर